

'देश भर में भूजल संरक्षण के लिए उठाए जा रहे हैं कदम'

जासं, नई दिल्ली: भूजल दोहन के विरुद्ध दायर एक आवेदन पर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यह भी कहा कि जल शक्ति मंत्रालय के साथ काम करते हुए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। सीजीडब्ल्यू ने स्थिति रिपोर्ट में यह भी कहा कि दिल्ली में भूजल के प्रबंधन व विनियमन के लिए समय-समय पर दिल्ली सरकार को जरूरी निर्देश पर एडवाइजरी जारी की जाती है। इतना ही नहीं अवैध भूजल से जुड़ी शिकायतों के तेजी से निस्तारण के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है। सीजीडब्ल्यू ने स्थिति रिपोर्ट में अपने अधिकार और शक्तियों के संबंध में भी जवाब दाखिल किया। एनजीटी ने आवेदनकर्ता वरुण के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई पर सीजीडब्ल्यू को भूजल संरक्षण के संबंध में उठाए गए कठमों के साथ ही अपने अधिकार के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।